न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः– 353/2020

निर्णय दिनांक :–22.01.2021

दीवानी दावा :

किशनलाल पुत्र खाना उर्फ काना जाति जाट निवासी भिवड़ावास हाल निवासी कासीर तहसील देवली जिला–टोंक राज0

– अपीलांट–

बनाम

सरपंच ग्राम ग्राम पंचायत गांवड़ी, तहसील देवली जिला टोंक राज.

–रेस्पोडेन्ट–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 427 दिनांक 05.08.2019 जो सरपंच ग्राम ग्राम पंचायत गांवड़ी द्वारा अस्वीकार किया गया

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है अपीलान्ट के पिता खाना पुत्र रामनाथ जाति जाट की खातेदारी की आराजियात हाल ख0नं0 147 रकबा 0.61 है0, वाके ग्राम भिवडावास तहसील देवली स्थित है जिसमे अलीलान्ट के पिता की जाति जाट की जगह गुर्जर अंकित कर रखी है, उक्त जाति जाट करने के लिए अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय मे एक दावा दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया गया था, जो न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया था और डिक्री के अनुसार अपीलान्ट के पिता की जाति गुर्जर की जगह जाट अंकित किये जाने के आदेश कर दिये गये थे। उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तकरण सं0 410 दिनांक 30.08.2018 को पिता अपीलान्ट के नाम भर दिया गया और अपीलान्ट के पिता की जाति गुर्जर की जगह जाट अंकित कर दी गयी थी। अपीलान्ट ने ख0सं0 147 मे से भूरा व भूरी पिसरान घीसा हिस्सा 1/3 जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद लिया था और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 स0 342 अपीलान्ट के नाम भर दिया गया था। इसी प्रकार नामा0 सं0 245 दिनांक 22.10.2010 के द्वारा विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत कर जामाबन्दी मे अंकन कर दिया गया था। सम्वत 2067–70 के बाद की जमाबन्दी बनाते समय नामान्तकरण सं. 245 का अंकन नई जमाबन्दी में नही किया गया। लेकिन अपीलान्ट के पिता का नाम नई जमाबन्दी में कानारामा पुत्र रामनाथ ही अंकित रह गया। अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी को मृत्यु प्रमाण पत्र देकर अपीनान्ट के पिता का फौती नामान्तकरण खोलने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने उक्त नामान्तकरण में यह नोट डाल दिया

फोती का नामान्तकरण पूर्व में ही नामान्तकरण सं. 410 खोल दिया गया है जिसके आधार पर पंचायत कोरम में दिनांक 05.08.2019 को उक्त नामान्तकरण अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरूद्ध कई कारणें में से कुछ कारणो पर यह अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. नामान्तकरण संख्या 427 दिनांक 5.08.2019 को जो पचांयत द्वारा अस्वीकार किया गया है वह विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित है इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है और स्वीकार किये जाने योग्य है।

2. हल्का पटवारी ने बिना नामा0 सं0 410 को देखे ही उक्त नामान्तकरण पर यह गलत नोट डाल दिया गया कि नामा0 सं0 410 फोती का पूर्व मे ही भरा जा चुका है जबकि नामान्तकरण सं0 410 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.4.2018 की पालना मे भरा गया था और उक्त नामा0 के आधार पर अपीलान्ट के पिता की जाति गुर्जर की जगह जाट की गयी थी इस कारण अधी0 न्यायालय द्वारा जो नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है वह आदेश बिल्कुल गलत है और उक्त नामा0 अस्वीकार किये जाने योग्य है।

3. अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी नही थी दिनांक 26.10.2020 को हल्का पटवारी द्वारा बताने पर उसी दिन नकल का प्रा0पत्र लगाया और उसी दिन नकल प्राप्त हो गयी। उक्त नामान्तकरण अस्वीकार करने की जानकारी दिनांक 16.10.2020 को हुई है जानकारी होने से यह अपील बिना किसी विलम्ब के श्रीमान के न्यायालय मे पेश की जा रही है, अपील पेश करने मे जो देरी हुई है उसे न्याहित मे क्षमा किया जाना आवश्यक है। प्रा0प0 धारा 5 लिमिटेशन एक्त मय शपथपत्र अलग से पेश है।

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता सुनिल शर्मा ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- अपील में खातेदारी होना स्वीकार है अपीलांट ने खसरा नं0 147 में से भूरा व भूरी पितृान घीसा के 1/3 हिस्से की भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय कर ली जिसके नामान्तकरण सं0 242 अपीलांट के नाम भर दिया गया जो स्वीकार है। भू0अ0नि0 राजमहल द्वारा नामान्तकरण संख्या 427 में नोट डाला गया कि नामान्तकरण पूर्व में दर्ज किया जा चुका है। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत गांवडी द्वारा ग्राम भीवडावास के नामान्तकरण संख्या 427 को अस्वीकार कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। <u>विशेष कथन:-</u> नामान्तकरण संख्या 427 दिनांक 5.8.2019 को ग्राम पंचायत गांवडी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि भू0अ0नि0 राजमहल द्वारा यह नोट डाल दिया गया कि उक्त फोती नामान्तकरण पूर्व में दर्ज कर दिया गया है। जबकि पूर्व में जो नामान्तकरण दर्ज हुये है वे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली के आदेश व बेचान के नामान्तकरण है। नामान्तकरण संख्या 427 जो ग्राम भीवडावास प0ह0 गांवडी के खसरा नं0 147 रकबा 0.61 है0 में दर्ज किया था। उक्त नामांतरण संख्या 427 स्वीकार किया जाता है तो ग्राम पंचायत गांवडी को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 427 में डाले गये नोट के कारण ग्राम पंचायत गांवड़ी द्वारा नामान्तकरण संख्या 427 को निरस्त कर दिया गया जबकि नामान्तकरण संख्या 410 कोर्ट द्वारा की गई डिक्री का नामान्तकरण था जिसको बिना देखे ही राजस्व कार्मिक ने नामान्तकरण संख्या 410 नामान्तकरण पूर्व में दर्ज है, डाल दिया गया जिसके कारण विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम नहीं खुल सका । अतः नामान्तकरण संख्या 427 को स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तो ग्राम पंचायत गांवड़ी को कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 242 जो दिनांक 20.09.2010 को सरपंच गांवड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया है उसका अंकन सही है परन्तु रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि इस नामान्तकरण का जमाबंदी में अमल करते समय सहवन से वादी की जाति जाट की जगह गुर्जर अंकित कर दी। इसके बाद नामान्तकरण संख्या 245 जो वादी के पिता की विरासत का नामान्तकरण था, उसमे तत्समय जमाबन्दी में जाति गुर्जर अंकित होते हुए भी नामान्तकरण में बिना किसी सक्षम आदेश के जाति जाट अंकित करते हुए नामान्तकरण खोल दिया गया चूंकि वादी के पिता की जाति बिना किसी सक्षम आदेश के शुद्ध किये बिना ही नामान्तकरण खोला गया था। अतः इस नामान्तकरण का अमल जमाबंदी में नही हो पाया है। प्रार्थी द्वारा उक्त अशुद्ध प्रविष्टि को जमाबंदी में शुद्ध करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली में एलआर एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में जाति शुद्ध करने के आदेश प्रदान किये गये। इस आधार पर नामान्तकरण संख्या 410 स्वीकृत किया गया। तत्सश्चात पटवारी ने शुद्ध प्रविष्टि के आधार पर नामान्तकरण संख्या 427 भरा गया परन्त उक्त विरासत का नामान्तकरण पूर्व में ही भरा होने से भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तकरण पूर्व में स्वीकृत होने की टिप्पणी अंकित कर दी गई, वैधानिक रूप से भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी सही है। अतः नामान्तकरण 427 में कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 427 दिनांक 05.08.19 जिसको ग्राम पंचायत गांवड़ी द्वारा अस्वीकार किया गया है, में ग्राम पंचायत गांवड़ी के आदेश को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार देवली को यह कठोर हिदायत दी जाती है कि जब भी नामान्तकरण तस्दीक के लिए आवे तो उसका पूर्ण अवलोकन कर नाामान्तकरण भरा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली